



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
**Directorate School Education**  
**विद्यालय शिक्षा निदेशालय**

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास  
 Education, Culture and Development

तमसो मा ज्योतिर्गमय  
 Lead me from Darkness to Light

Off.: Plot No. 1B, Shiksha Sadan, Sector 5, Panchkula, Haryana 134109 (India) - Tel: 91(0172)-2560246 Fax: 91(0172)-2560253  
 कार्यालय: प्लॉट नं० 1बी, शिक्षा सदन, सेक्टर 5 पंचकुला-134109 (भारत) दूरभाष : 91 (0172) 2560246 फैक्स: 91 (0172) 2560253  
 e-mail: [edusecondaryhry@gmail.com](mailto:edusecondaryhry@gmail.com) - site: [www.schooleducationharyana.gov.in](http://www.schooleducationharyana.gov.in)

17/1/2016  
 06/01/16

**ORDER NO. 13/182-2015 HRME(4)**

**DATED, PANCHKULA THE 06/01/2016**

In compliance of Hon'ble High Court order dated 14.12.2015 in CWP NO. 24313 of 2015 titled as Chaman Lal v/s State of Haryana, the reversion orders of Deputy Superintendents to the post Assistant issued vide this office order dated 10.11.2015 are hereby stayed till further orders of Hon'ble Court. They are directed to join their previous place of posting with immediate effect.

Further, the following Deputy Superintendents are adjusted in the following manner being effected due to compliance of Hon'ble High Court order dated 14.12.2015.

Transfer ID	Name and present designation [ID]	Present Place of posting	Adjusted at	Remarks
73470	Ramesh Chander Deputy Superintendent [005446]	O/o DEO Bhiwani, Distt. Bhiwani [4120] Urban	O/o DEO Jhajjar Distt. Jhajjar [4066] Urban	Agaisnt Vacancy
73472	Shyam Sunder Deputy Superintendent [066001]	O/o DEO Bhiwani, Distt. Bhiwani [4120] Urban	O/o DEO Narnaul Distt. Mahendergarh [4098] Urban	Agaisnt Vacancy
73471	Rajinder Bhatia Deputy Superintendent [017515]	O/o DEO Hisar, Distt. Hisar [4158] Urban	O/o DEO Sirsa Distt. Sirsa [4609] Urban	Agaisnt Vacancy

Note: - The terms & condition will remain same as detailed in their promotion orders.


Date, Panchkula, the  
06.01.2016

**M. L. Kaushik**  
**DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

**ENDST NO 13/182-2015-HRME(4)****DATED, PANCHKULA, THE 06/01/2016**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action

1. District Education Officers/ Head of institutions concerned. The joining/ relieving reports may please be sent to this office within one month positively.
2. Director SCERT, Gurgaon
3. Accountant General (A&E) Haryana, Panchkula.
4. PS/SPS to CM
5. PS/DSE.
6. Official concerned.
7. Technology Officer (IT Cell, HQ)

  
**ASSISTENT DIRECTOR ME**<sup>16</sup>  
**for DIRECTOR SECONDARY EDUCATION**  
**HARYANA, PANCHKULA**

18 ITC/16  
6/01/16

**DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA**

**ORDER No. 5/26-2012 HRG-II (2)**

**Dated, Panchkula, the 10.12.2015**

Whereas, Sh. Balbir Singh Headmaster G.H.S. Adwar District Mewat now, Headmaster, GHS, Badhra District Bhiwani was charge sheeted under Rule-8 of the Haryana Civil Services (Punishment & Appeals) Rules, 1987 vide order No. **5/26-2012 HRG-II (2)** Dated, 14.08.2012, wherein following charges were levelled against him:-

**" That he appointed Sh. Karambir SSM (Guest Faculty) whereas, Sh. Karambir was not having combination of subjects as per requirement of the service rules/instructions."**

Though he did not reply to the charge sheet but in the interest of justice he was asked to appear in person on 20.10.2015. He submitted his reply to the chargesheet on 20.10.2015 but he was not heard in person on that day. He replied that he had appointed Sh. Karambir Singh as there were no instructions of the subject combination by the deptt. & the appointee has later on completed the subject combination norm also. He was again asked to appear in person on 04.12.2015 and he was heard in person. During personal hearing he admitted the charges and requested to give less punishment.

After considering the facts and the circumstances contentions raised by the incumbent and his reply, it shows that certain laxity and dereliction of duty on his part can not be denied. He admitted that without following the instructions he gave appointment to Sh. Karambir Singh, SS Master (guest faculty). It is also against the service norms that being head of the institution, he does not follow the Rules/Instructions for engagement of faculty staff. Moreover, as per rules/instructions of the department, it has been specifically mentioned that while engagement of guest faculty teacher, relevant instructions must be followed. It is clear that Sh. Balbir Singh has committed irregularities while appointing Sh. Karambir as SS Master.

Keeping in view his candid acceptance during hearing and entire fact of the case, a punishment of stoppage of two annual increments without cumulative effect is inflicted upon him which will be commensurated with the irregularities committed by him.

I order accordingly.

(M.L. KAUSHIK)

**DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,  
HARYANA, PANCHKULA**

Regd.

Sh. Balbir Singh, Principal,  
GSSS, Badhra (Bhiwani)

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the 1-1-2016

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. District Education Officer, **Bhiwani**.

2. I.T. Cell.

Superintendent HRG-II  
for Director Secondary Education  
Haryana Panchkula

19 ITC  
06/01/16

**DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, PANCHKULA**

**ORDER No. 5/26-2012 HRG-II (2)**

**Dated, Panchkula, the 10.12.2015**

Whereas, Sh. Wazir Singh Science Master, now Headmaster, G.H.S. Umrawat, Bhiwani was charge sheeted under Rule-8 of the Haryana Civil Services (Punishment & Appeals) Rules, 1987 vide order No. **5/26-2012 HRG-II (2)** Dated, 14.08.2012, wherein following charges were levelled against him:-

**" That he appointed Smt. Savita as SSM (Guest Faculty) whereas, Smt. Savita was not having combination of subjects as per requirement of the service rules/instructions."**

Though he did not reply to the charge sheet but in the interest of justice he was asked to appear in person on 20.10.2015. He submitted his reply to the chargesheet on 20.10.2015 but he was not heard in person. So he was again asked to appear in person on 04.12.2015 but he did not turn up for hearing.

After considering the facts and the circumstances and his reply to the chargesheet, it shows that certain laxity and dereliction of duty on his part can not be denied. It is also against the service norms that being head of the institution, he does not have any knowledge about Rules/Instructions for engagement of faculty staff. Moreover, as per rules/instructions of the department, it has been specifically mentioned that while engagement of guest faculty teacher, relevant instructions must be followed. It is clear from the above facts that Sh. Wazir Singh has committed irregularities while appointing Smt. Savita as SS Mistress.

Keeping in view of the entire fact of the case, a punishment of stoppage of two annual increments without cumulative effect is inflicted upon him which will be commensurated with the irregularities committed by him.

I order accordingly.

(M.L. KAUSHIK)  
**DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,  
HARYANA, PANCHKULA**

Regd.

✓ **Sh. Wazir Singh, Headmaster,  
G.H.S. Umrawat Bhiwani**

**Endst. No. Even**

**Dated, Panchkula the 1-1-2016**

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. District Education Officer, **Bhiwani.**

✓ 2. I.T. Cell.

**Superintendent HRG-II  
for Director Secondary Education  
Haryana Panchkula**

GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार  
 Directorate School Education

विद्यालय शिक्षा निदेशालय

e-mail: edusecondary@hry.nic.in

Order No. 5/51-2013 HRME(1)/2788

दिनांक पंचकुला:-

1. इसके द्वारा श्री सतीश कुमार, आकंडा सहायक (47628), अब निलम्बित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र, (4607), को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम-7 के अर्न्तगत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे सम्बद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
2. इसके द्वारा श्री सतीश कुमार, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। वे कोई स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री सतीश कुमार, को आगे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो उन्हें निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह स्पष्ट किया जाता है कि उन्हें केवल वही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत नहीं हैं, सरकार की राय में उन्हें दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री सतीश कुमार, ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी है। फिर भी श्री सतीश कुमार, आकंडा सहायक अब निलम्बित कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र (4607), को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकता उनको उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहिये।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

(10 एस0 मान)  
 अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-I  
 का0 निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा  
 पंचकुला।

रजि0

श्री सतीश कुमार, आकंडा सहायक (47628), अब निलम्बित  
 कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र,

पृष्ठांकन क्रमांक सम

दिनांक, पंचकुला:- 5/01/2016

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र/जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कुरुक्षेत्र।
2. प्रौद्योगिकी अधिकारी, आई0टी0 सैल।

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0  
 कृते:निदेशक सकेण्डरी शिक्षा हरियाणा  
 पंचकुला।

**आरोप सूची— श्री सतीश कुमार, आंकडा सहायक अब निलम्बित कार्या० जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र।**

श्री सतीश कुमार, कार्या० जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र में आंकडा सहायक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:-

1. यह कि कर्मचारी द्वारा कार्यालय जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र में दिनांक 02.01.14 को कार्यग्रहण करने उपरान्त निम्नलिखित तिथियों को स्वैच्छा से बिना किसी अनुमति से अनुपस्थित रहे।

08.1.2014 से 31.01.2014 तथा

07.02.14 से 20.04.14 तक।

2. यह कि दिनांक 21.04.14 को जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र द्वारा कर्मचारी का समायोजन जि०मौ०शि०अ० कुरुक्षेत्र के कार्यालय में किया गया। कर्मचारी द्वारा दिनांक 21.4.14 को बाद दोपहर कार्यालय में कार्य ग्रहण किया गया और दिनांक 22.4.2014 से लगातार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहा है।
3. कर्मचारी ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र के कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में अपनी अनुपस्थिति के दौरान दर्ज प्रश्नवाचक चिन्ह पर हाजरी लगाकर सरकारी रिकार्ड से छेड़छाड़ की, जिसके लिए वह जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं करके श्री सतीश कुमार, आंकडा सहायक अब निलम्बित कार्या० जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र ने अपने आपको हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली 1966 के नियम-3 की उल्लंघना की तथा अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

~~अतिरिक्त~~ निदेशक प्रशासन-1  
का० निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,  
पंचकूला।

अभियोग सूची— श्री सतीश कुमार, आंकडा सहायक अब निलम्बित कार्या० जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र।

श्री सतीश कुमार, कार्या० जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र में आंकडा सहायक के पद पर कार्य करते हुए निम्नलिखित अनियमितताएं की हैं:—

1. यह कि कर्मचारी द्वारा कार्यालय जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र में दिनांक 02.01.14 को कार्यग्रहण करने उपरान्त निम्नलिखित तिथियों को स्वैच्छा से अनुपस्थित रहे।

08.1.2014 से 31.01.2014 तथा

07.02.14 से 20.04.14 तक।

- 2 यह कि दिनांक 21.04.14 को जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र द्वारा कर्मचारी का समायोजन जि०मौ०शि०अ० कुरुक्षेत्र के कार्यालय में किया गया। कर्मचारी द्वारा दिनांक 21.4.14 को बाद दोपहर कार्यालय में कार्य ग्रहण किया गया और दिनांक 22.4.2014 से लगातार बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति से स्वैच्छा से अनुपस्थित चल रहा है।

- 3 कर्मचारी ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र के कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर में अपनी अनुपस्थिति के दौरान दर्ज प्रश्नवाचक चिन्ह पर हाजरी लगाकर सरकारी रिकार्ड से छेड़छाड़ की, जिसके लिए वह जिम्मेदार है।

अतः उपरोक्त अनियमितताएं करके श्री सतीश कुमार, आंकडा सहायक अब निलम्बित कार्या० जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र ने अपने आपको हरियाणा कर्मचारी आचरण नियमावली 1966 के नियम-3 की उल्लंघना की तथा अपने आपको कड़ी अनुशासनिक कार्यवाही का पात्र बनाया है।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन-1  
का० निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,  
पंचकूला।

गवाहों/रिकार्ड की सूची— श्री सतीश कुमार, आंकडा सहायक अब निलम्बित कार्या० जि०शि०अ० कुरुक्षेत्र।

रिकार्ड की सूची:—

1. जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर की प्रतियां।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के उपस्थिति रजिस्टर की प्रतियां।
3. कर्मचारी से किये गये पत्राचार की प्रति।
4. अन्य सम्बन्धित दस्तावेज।

गवाहों की सूची

1. जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र।
2. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र।

अतिरिक्त प्रदेशक प्रशासन—  
का० निदेशक विद्यालय शिक्षा, हरियाणा,  
पंचकूला।